

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)
उनवान

1. सीओ साहब पुत्र मोहरसिंह
2. नरेश पुत्र मोहरसिंह
3. भीम पुत्र मोहरसिंह
4. श्रीमति रत्तो देवी पत्नि मोहरसिंह
समस्त जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र कलुवा
2. नरसी पुत्र कलुवा
3. हरकेश पुत्र कलुवा
4. श्रीमति हंसो पत्नि स्व० कलुवा
5. समयकौर पत्नि राजेन्द्र सिंह
समस्त जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम।
6. उप पंजीयक बालघाट
7. तहसीलदार टोडाभीम

प्रतिवादीगण

एवं

उनवान

1. समयकौर पत्नि स्व. शहीद राजेन्द्र सिंह जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम

वादीया

बनाम

1. सीओ साहब पुत्र मोहरसिंह
2. नरेश पुत्र मोहरसिंह
3. भीम पुत्र मोहरसिंह
4. श्रीमति रत्तो देवी पत्नि मोहरसिंह
समस्त जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु०न० 14/2016 एवं 04/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री देवेन्द्र कुंमार शर्मा एडवोकेट व हाजरी श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रुबरु.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः सीओसाहब, नरेश, भीम, पि० मोहरसिंह, रत्तो देवी पत्नि मोहरसिंह गूर्जर को ग्राम तिधरिया की आराजी ख०न० 42 रकवा 0.18 है०, 43 रकवा 43/1 रकवा 0.12 है० का एवं समयकौर पत्नि स्व० राजेन्द्र सिंह जाति गूर्जर को ख०न० 42/1 रकवा 0.17, ख०न० 43 रकवा 0.12 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा से

उपजिला कलक्टर

बन्द किया जाता है कि एक दूसरे की कब्जेकाशत की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही रहे। निर्णय की प्रति दोनो मुकदमो मे शामिल की जावे। नक्सा ट्रेस की प्रति सलग्न रहेगी।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के
शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....
दा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.08.2019 को जारी की

28/8/19
दस्तखत उपजिला कलेक्टर
ओहदा..... (करौली)



	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
दई			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकाल नामा			म्हनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
म्हनताना वकील			फीस कमीशनर		
खर्चा गवाहान			वावत इजराय हुक्मनामा		
फीस कमीशनर			मुतफरिक		
वावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक					